न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कान्तिलाल पुत्र पीथाजी जाति कलबी निवासी चिमनगढ तहसील रानीवाडा		1. मंगलपुरी पुत्र प्रेमपुरी जाति स्वामी निवासी गांग तहसील रानीवाडा 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक – 01.02.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा मैत्रीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 84 रकबा 1.65 हैक्टेयर आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर 84 रकबा 1.65 हैक्टेयर के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 83 रकबा 1.64 हैक्टेयर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं।
2. प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 84 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 82 व 83 उक्त आराजी के बीच की सीमा अस्पष्ट होने पर प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी मौजा मैत्रीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 84 रकबा 1.65हे. आराजी की पैमाईश कर सीमांकन करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा हल्का पटवारी पटवार हल्का रतनपुर के नाम प्रार्थी की आराजी की पैमाईश करने हेतु आदेश क्रमांक 112 दिनांक 14.12.2022 को जारी किया था, जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.12.2022 को प्रार्थी की आराजी मौजा मैत्रीवाड़ा के खसरा नंबर 84 रकबा 1.65 आराजी की पैमाईश कर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 84 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 82, 83 की सीमाएं बताई परन्तु खसरा नंबर 82, 83 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खेत की सीमाएं मानने से मना कर दिया तथा मौके पर सीमा का विवाद कायम रहा। आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 सीमा को लेकर प्रार्थी के साथ विवाद उत्पन्न करता रहता हैं, जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में शांति से काश्त भी नहीं कर पा रहा हैं। ऐसी स्थिति में मौजा मैत्रीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 84 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 82 व 83 की पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 84 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 82, 83 के बीच की सीमा का सीमांकन कर उक्त आराजी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.19 18:14:25 IST
Reason: SelfAttested

सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाये जाने के आदेश दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि मौजा मैत्रीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थी की आराजी नवीन खसरा नंबर 84 रकबा 1.65 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नवीन खसरा नंबर 82 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 83 रकबा 1.64 हैक्टेयर आराजी की पैमाईश हेतु राजस्व कर्मचारियों की कमेटी का गठन कर उक्त आराजी की पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 84 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी खसरा नंबर 82, 83 के बीच की सीमा पर सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाये जाने हेतु आदेश फरमावे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया व अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से जवाब बंद किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के समक्ष उसकी आराजी के सीमांकन हेतु कब प्रार्थना पत्र पेश किया, उसका इल्म अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं हैं। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा तथाकथित आदेश क्रमांक 112 दिनांक 14.12.2022 अप्रार्थी संख्या 1 की पीठ पिछे जारी किया गया हैं। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया हैं तथा हल्का पटवारी द्वारा उक्त आदेश की पालना में मौके पर आने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 को कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2022 भी अप्रार्थी संख्या 1 की पीठ पिछे तैयार की गई हैं। यहां यह वर्णित किया जाना उचित होगा कि प्रार्थी की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के बीच करीब 40 वर्ष पुरानी माठ कायम हैं तथा माठ के लगते अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी कब्जा सुद आराजी में आवास का निर्माण भी करवाया हुआ हैं, जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी के बीच की माठ पर पुराने नीम के वृक्ष खड़े हैं। प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अदालत हाजा को गुमराह करने की नियत से झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिल खारीज हैं।

जब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के बीच वर्षों पुरानी माठ हैं, जिस पर पुराने नीम के वृक्ष खड़े हैं तथा उक्त माठ के लगते अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की सहमति से व प्रार्थी की जानकारी में आवास का निर्माण करवाया हुआ है। ऐसी स्थिति मे जब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के बीच की सीमा को लेकर कोई विवाद ही नहीं है तो उक्त आराजी बाबत पेश प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा भूमिधारी तहसीलदार को प्रार्थी द्वारा प्रकरण हाजा में बतौर पक्षकार गलत संयोजित किया हैं। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के तर्कों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा मैत्रीवाडा के खसरा नम्बर [redacted] व 84 की आराजी के मध्य माठों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:25 IST
Reason: Attested

विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया। राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा मैत्रीवाडा के खसरा नम्बर 83 व 84 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

1. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मैत्रीवाडा पटवार हल्का रतनपुर के खसरा 83, 82 व 84 रकबा क्रमश 1.68, 0.01, 1.64 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:25 IST
Reason: SelfAttested